इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 7748-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१३

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१३

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२ धारा २ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. अनुसूची-१ का संशोधन.
५. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१३

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२)(क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के, आनुषंगिक माल से संबंधित से भिन्न और धारा ५ (एक) के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में उपधारा (१) में, खण्ड (ख ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख ख ख) "आनुषंगिक माल" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा ८ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट, माल के विनिर्माण या खनन में, और विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण या वितरण में उपयोग में आने वाले कच्चे माल और संवेष्टन सामग्री से भिन्न माल,".

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किए जाएं, अर्थात—

"परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित किए जाएं,—

(एक) अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट, उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोयला और लोहा तथा इस्पात जो कि अन्य मालों के विनिर्माण में कच्चे माल या आनुषंगिक माल के रूप में उपभोग में या उपयोग में लाए जाते हों, से भिन्न माल के संबंध में यदि अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट कर की दर एक प्रतिशत से अधिक हो तो, एक प्रतिशत प्रवेश कर देय होगा;

(दो) जहां व्यापारी शर्तों या निबंधनों में से किसी भी शर्त या निबंधन का उल्लंघन करता है या उसने मध्यप्रदेश में के किसी स्थानीय क्षेत्र में अन्य माल के विनिर्माण के लिए या आनुषंगिक माल के रूप में कच्चे माल के रूप में माल का उपभोग या उपयोग नहीं किया है, वहां वह प्रवेश कर के रूप में ऐसी रकम चुकाने का दायी होगा जो कि अनुसूची-२ में यथावर्णित पूरी दर तथा उपर्युक्त खण्ड (एक) में वर्णित ऐसे कर की रियायती दर के बीच होने वाले अन्तर के बराबर हो :

परन्तु यह और भी कि जहां अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट, उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोयला और लोहा तथा इस्पात का जिस पर कि प्रवेश कर एक प्रतिशत से अधिक की दर से पहले ही लग चुका हो, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, अन्य माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में या आनुषंगिक माल के रूप में उसके द्वारा उपभोग या उपयोग में लाए जाने हेतु क्रय किया जाता है तो वह (क्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यापारी) कर की उस रकम के, जो उस मूल्य के ऐसे अनुपात पर, जिस पर कि उसने माल का क्रय किया था, जैसा कि विहित किया जाए, अनुसूची-२ में वर्णित कर की पूरी दर से संगणित की गई हो, बीच होने वाले अन्तर के बराबर रकम की यथास्थिति मुजराई या वापसी, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित किए जाएं, पाने का हकदार होगा.''.

अनुसूची-१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक १ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''2. लिकर'';

(दो) अनुक्रमांक १० के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''१०-क. मानव निर्मित तन्तु'';

(तीन) अनुक्रमांक १६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''१७. एल्युमिनियम, कांसे, तांबे और जस्ते की वायर राड, चादरें, सिल्लियां तथा सर्कल.

१८. तांबे की छड़ें, तांबे के कैथोड, तांबे के वाइंडिंग वायर, एनामेल्ड कापर वायर, बेयर कापर वायर.

१९. पेपर कवर्ड एल्युमिनियम स्ट्रिप्स/वायर.''

अनुसूची-२ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२,—

(एक) भाग-एक में, अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (२) में, मद (३) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(४) जो अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट हैं'';

(दो) भाग-दो में, अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (३) में, अंक ''६.४७'' के स्थान पर, अंक ''२'' स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१३-१४ के लिये बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग—दो में अंतर्विष्ट प्रवेश कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने और कतिपय अन्य उपबंधों को युक्तियुक्त करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) में समुचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १२ मार्च, २०१३.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ के द्वारा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट माल तथा यथावर्णित दरों के निर्धारण संबंधी शर्तें एवं निर्बन्धन से आशयित विधायनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.